



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जनपद : अमरोहा, तहसील : अमरोहा
वाद संख्या :- 00882/2019

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201913380100882

एम0क्यू0चिल्डन एजूकेशनल सोसायटी खैयया माफी द्वारा प्रबन्धक शमशुल कमर बनाम लेखपाल
हल्का

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद एस0क्यू चिल्डन एजूकेशनल सोसायटी खैयया माफी/अमरोहा द्वारा प्रबन्धक शमशुल कमर पुत्र मौ0 यागीन निवासी ग्राम कालाखेडा उर्फ कलालखेडा तहसील व जनपद अमरोहा द्वारा अन्तर्गत धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता योजित किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र में अपनी आराजी स्थित ग्राम डिडौली के गाटा सं0/रकबा 529/0.409है0 व 530/0.364है0 कुल दो किते कुल रकबा 0.773है0 भूमि को अकृषिक उदघोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

तहसीलदार अमरोहा से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 4.02.2019 मे कहा गया है कि वादी की ग्राम डिडौली में गाटा सं0/रकबा 529/0.409है0 व 530/0.364है0 कुल दो किते कुल रकबा 0.773है0 भूमि है जिस पर स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रश्नगत भूमि में कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज, सीलिंग आदि की नहीं है। वादी तथा हल्का लेखपाल द्वारा बयान दर्ज कराये गये।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। तहसीलदार अमरोहा की आख्या, फर्द खतौनी, वादी तथा हल्का लेखपाल के बयानों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अमरोहा की आख्यानुसार वादी की ग्राम डिडौली में गाटा सं0/रकबा 529/0.409है0 व 530/0.364है0 कुल दो किते कुल रकबा 0.773है0 भूमि है जिस पर स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रश्नगत भूमि में कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज, सीलिंग आदि की नहीं है। वादी तथा हल्का लेखपाल के बयानों में भी भूमि के अकृषिक होने की पुष्टि की गयी है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन) अमरोहा के द्वारा दिनांक 31.01.2019 को अवगत कराया है कि वर्तमान में भूअर्जन प्रस्ताव में प्रश्नगत खसरा नम्बर का अर्जन नहीं हो रहा है। जिलेदार मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-16 चन्दौसी (सम्मल) के द्वारा दिनांक 1.12.2018 को अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत गाटा संख्या नहर के समरेखन में नहीं आ रहा है। चूंकि भूमि का प्रयोग व्यावसायिक है ऐसी दशा में वादी द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2006 के नियम-85 के प्रस्तर-2 के अनुसार जिलाधिकारी गहोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उक्त भूमि का एक प्रतिशत अर्थात 33239/-रूपये (तींतीस हजार दो सौ उन्तालीस रूपये) भारतीय स्टेट बैंक अमरोहा में निर्धारित लेखा शीर्षक 0029001010602 (गैर कृषिक भूमि घोषणा शुल्क) में दिनांक 30.01.2019 को जमा किया जा चुका है तथा इतनी ही धनराशि का न्यायालय शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक 0030011020100 (न्यायालय शुल्क) में दिनांक 30.01.2019 को जमा किया जा चुका है। अतः उपर्युक्त विवेचना से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 4.02.2019 स्वीकार किये जाने योग्य है।





आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जनपद : अमरोहा, तहसील : अमरोहा
वाद संख्या : -00882/2019

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : -1201913380100882

एम0क्यू0चिल्डन एजूकेशनल सोसायटी खैयया माफ द्वारा प्रबन्धक शमशुल कमर, बनाम लेखपाल हल्का

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


आदेश

अस्तु तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 4.02.2019 स्वीकार की जाती है। एस0क्यू चिल्डन एजूकेशनल सोसायटी खैयया माफी/अमरोहा द्वारा प्रबन्धक शमशुल कमर पुत्र मौ0 यामीन निवासी ग्राम कालाखेडा उर्फ कलालखेडा तहसील व जनपद अमरोहा की भूमि स्थित ग्राम डिडौली के खाता सं0 81 गाटा सं0/रकबा 529/0.409 है0 व 530/0.364 है0 कुल दो किते कुल रकबा 0.773 है0 भूमि को लगान मुक्त करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-80 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि/आबादी घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की सत्यप्रति उप निबन्धक अमरोहा के कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 20.02.2019

20/02/19
(सुखवीर सिंह)

उपजिलाधिकारी, अमरोहा।



सत्य प्रतिक्रिया

Handwritten signature

जयपुर ६० व ७० धारा ६०
जिलाधिकारी श्री ० अमर

32
गणित का विभाग 26/2/19
शर प्रबन्धक/वाफाई 12
वर्षों की तय्या 1298
दिल्ली का रुठ 757-21-19
पारी का रिपोर्ट 27-2-19
एक प्रतिक्रिया नहीं

गणित का विभाग
दिल्ली का रुठ

